कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2636157 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 509 . दिनांकः– 20/12/23

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र समिति जोन–1 (ले–आउट प्लान) की 35/2023 की बैठक दिनांक 14.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–1 की 32/2023 वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02. :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
14.12.2023	जोन–1	डांगियावास	223/19, 223/19, 223/4	–	सडक मार्गाधिकार निर्धारण
आवेदक	1. श्री पूनाराम जॉगिड पुत्र श्री हरचन्दराम जॉगिड 2. श्री बरनेला चेरीटेबल ट्रस्ट विश्वकर्मा मन्दिर जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पूनाराम जॉगिड पुत्र श्री हरचंदराम जॉगिड 3. श्री पूनाराम पुत्र श्री हरचन्दराम जॉगिड				
विषयः–	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 223/19, 223/19, 223/4 में सडक मार्गाधिकार निर्धारण बाबत्।				
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा निम्न तथ्य नोट किये गयेः– • राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 223/19, 223/19, 223/4 के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि से लगभग 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित खसरा संख्या 173/2, 174/1 के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के प्रकरण में ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 27.02.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 80 फीट निर्धारित किया गया था। • राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 223/19 का अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर से जारी संपरिवर्तन आदेश में उक्त सड़क का मार्गाधिकार सड़क मध्य से 30 फीट अर्थात 60 फीट रखा गया हैं। • मौका स्थिति अनुसार मौके पर सड़क का मार्गाधिकार खसरा संख्या 223/19 व 223/4 के संपरिवर्तन आदेश में दर्शित 50 फीट से अधिक प्रतीत होता हैं। उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रश्नगत सडक का मार्गाधिकार 80 फीट रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

18/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः **F37(3)** / नि.आ. / बीपीसी(एल.पी.) / का.वि. / 2023 / 510-14 दिनांकः– 20/12/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन–1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. एसीपी / एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

18/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति जोन–1 (ले–आउट प्लान) की 35 / 2023 की बैठक दिनांक 14.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	डॉ. हरीतिमा, कार्यवाहक आयुक्त व सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन–1) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
5.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

18/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव